Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल

HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882

ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/112 **DATE: 14 FEBRUARY 2025**

सेवा में,
आदरणीय श्री अमित शाह जी,
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार,
पता: नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, दिल्ली 110001

द्वारा,
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)
पता: एफ-49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, द्वारका सेक्टर 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली - 110078

विषय: देश में अश्लीलता फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही एवं भविष्य में ऐसी घटनाएँ रोकने हेतु कठोर कानून बनाने के संबंध में।

महोदय,

सादर प्रणाम।

जैसा कि आपको ज्ञात है, विगत दिनों यह देखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने व्यक्तिगत एवं आर्थिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अनैतिक सामग्री का निर्माण और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो कि अत्यंत गंभीर और देश के नागरिकों की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री का देश की युवा पीढ़ी पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक सभ्य, सांस्कृतिक और सम्मानित राष्ट्र में ऐसे कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रवृत्ति के प्रति जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स व संबंधित इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

मुख्य आपत्तियाँ:

1. **युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव:** अश्लीलता, अपशब्दों एवं अनैतिक विचारों को बढ़ावा देने से मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
2. **भारतीय संस्कृति और मूल्यों का ह्रास:** सार्वजनिक रूप से अमर्यादित सामग्री का प्रसार भारतीय मूल्यों एवं नैतिकता के विपरीत है।
3. **नशे एवं अनैतिक गतिविधियों का महिमामंडन:** कई शो, पॉडकास्ट एवं वीडियो सामग्री में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4. **महिलाओं का अपमान:** कई डिजिटल कंटेंट में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लैंगिक असमानता और समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है।
5. **कानूनी उल्लंघन:** भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हो रहा है।

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु अनुरोध:

1. **सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एवं शो होस्ट के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए, जो अश्लीलता एवं अनैतिक सामग्री का प्रचार कर रहे हैं।**
2. **ऐसे कंटेंट को नियंत्रित करने हेतु कठोर साइबर कानून बनाए जाएँ एवं वर्तमान कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।**
3. **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया जाए कि वे इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत ब्लॉक करें एवं भविष्य में ऐसी सामग्री को अपलोड करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करें।**
4. **देश में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाए, जो इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखे और आवश्यक कार्रवाई करे।**
5. **जो भी व्यक्ति या संस्था भारतीय संस्कृति एवं नैतिकता के विरुद्ध सामग्री का निर्माण कर रही है, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कानूनी कार्यवाही की जाए।**

यदि इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता का पतन होगा, जिससे युवा पीढ़ी गलत दिशा में अग्रसर होगी। एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते हमारी माँग है कि सरकार इस प्रकार की अनैतिक एवं अश्लील डिजिटल सामग्री पर तुरंत रोक लगाए एवं दोषियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करे। हम आपसे इस पत्र पर शीघ्र संज्ञान लेने की अपील करते हैं।

सादर धन्यवाद।

भवदीया,
रश्मि बाला
राष्ट्रीय सचिव
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)